

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला : A.C.B O.P. Siu Jaipur थाना: C.P.S, A.C.B. Jaipurवर्ष 2022
प्र0इ0रि0 सं. 34 / 2022 दिनांक 6/2/22
2. (I) अधिनियम धारायें 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018
एवं 120 बी भादंसं
(II) *अधिनियम धारायें
(III) *अधिनियम धारायें
(IV) *अन्य अधिनियम एवं धारायें
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 117 समय . 2.40 P.M.
(ब) अपराध घटने का दिनांक
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक
4. सूचना की किस्म :- लिखित / मौखिक लिखित एवं जी-मिडिया टेलिविजन चैनल पर प्रसारित विडियो क्लिप
5. घटनास्थल :- जयपुर
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:-
(ब) *पता : बीट संख्या जयरामदेही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना जिला
6. परिवादी / सूचनाकर्ता :-
(अ) नाम श्री विजय मिश्रा निवासी गयाकुण्ड मोहल्ला, कामां, जिला भरतपुर, राजस्थान
(ब) पिता/पति का नाम - श्री श्रीचंद मिश्रा
(स) जन्म तिथि/वर्ष
(द) राष्ट्रियता भारतीय.....
(य) पासपोर्ट संख्या जारी होने की तिथि .
जारी होने की जगह
(र) व्यवसाय - सामाजिक कार्यकर्ता
(ल) पता -
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :-
1- श्री पूरन, ई-मित्र संचालक, ज्योतिबा फूले कॉलेज, रामनगर, जयपुर के सामने,
2- श्री मदन चौधरी, सिद्धि विनायक कॉम्पलेक्स स्वेज फार्म जयपुर व संचालक जयलाल मुंशी का रास्ता, जयपुर एवं अन्य।
8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :-..कोई नहीं.....
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)...
10. * चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति का कूल मूल्य

दिनांक 29.01.2022 को जी-मीडिया के सवांददाता श्री आशीष चौहान द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, मुख्यालय, जयपुर के व्हाट्सअप नम्बर पर भेजा गया जिसमें जी-राजस्थान मिडिया टेलिविजन चैनल पर प्रसारित ऑपरेशन पेंशन प्रोग्राम विडियो क्लिप को डाउनलोड कर सुना जाकर अवलोकन एवं विश्लेषण किया गया एवं दिनांक 31.01.2022 को एक प्रार्थना पत्र जी मिडिया के सवांददाता श्री आशीष चौहान द्वारा मेरे व्हाट्सअप नम्बर पर भेजा गया जो श्री विजय मिश्रा पुत्र श्री श्रीचंद मिश्रा निवासी गयाकुण्ड मोहल्ला, कामां, जिला भरतपुर, के द्वारा एक टाईपशुदा प्रार्थना-पत्र था जो श्रीमान महानिदेशक महोदय, एसीबी जयपुर को सम्बोधित करते हुए जिसमें निम्न उल्लेखित था।

विषय "सामाजिक सुरक्षा पेंशन चालू करवाने के मामले में ली जा रही रिश्वत के प्रकरण में कार्रवाई किये जाने बाबत। महोदय, निवेदन है कि दिनांक 29.01.2022 को जी राजस्थान टीवी चैनल पर शाम 4:00 बजे ऑपरेशन पेंशन प्रोग्राम को देखकर प्रार्थी हतप्रद रह गया कि एक और केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा पीड़ित वर्ग को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु विभिन्न विधिक प्रावधान एवं सामाजिक सुरक्षा की योजना आरम्भ कर उन्हें मानसिक एवं आर्थिक संबल दिया जा रहा है और दूसरी ओर इस स्टिंग ऑपरेशन के अनुरूप ज्योतिबा फूले कॉलेज रामनगर जयपुर के सामने ईमित्र संचालक जो कि अपना नाम पूरन बता रहा था, जिसने दो हजार रुपये रिश्वत ली। दूसरा सिद्धि विनायक कॉम्प्लेक्स स्वेज फार्म जयपुर में ईमित्र संचालक है जो अपना नाम मदन चौधरी बता रहा है इसने अठारह सौ रुपये रिश्वत के लिए। यह सामाजिक सुरक्षा पेंशन सुनीता देवी एवं रूप चन्द पेसवानी शुरू कराने के पैसे लिए जिनकी पेंशन तत्काल शुरू हो गई। इसके अलावा बगरू वालों का रास्ता में ईमित्र संचालक तथा जयलाल मुंशी का रास्ता में ईमित्र संचालक ने क्रमशः अठारह सौ व पन्द्रह सौ रुपये रिश्वत की मांग की। इस प्रकार स्पष्ट है कि सम्पूर्ण राज्य के अन्तर्गत एक और राज्य सरकार तत्काल पेंशन आरम्भ करने के लिए प्रतिबद्ध है दूसरी ओर ऐसे ईमित्र संचालक जिन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कर्मचारियों से सांठ-गांठ कर सम्पूर्ण तंत्र को कलंकित किया है, जिनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई कर सम्पूर्ण षडयंत्र कारियों एवं दोषी लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लायी जावे" आदि।

मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर द्वारा प्रार्थना पत्र का अवलोकन एवम् उसके साथ प्राप्त वीडियो क्लिप को विभागीय लेपटॉप में चलाकर देखा एवम् सुना गया, जिसमें ई-मित्र संचालकों द्वारा नगर निगम जयपुर एवम् कलेक्ट्रेट जयपुर के कर्मचारियों को रिश्वत में रुपये दिये जाने के नाम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन चालू करवाने के मामले में रिश्वत ली जा रही है आदि-आदि ई-मित्र संचालकों एवं जी-राजस्थान मीडिया टेलीविजन एंकर, रिपोर्टर टीम की वार्तालाप रिकॉर्ड है, जो निम्नलिखित है।

वार्तालाप जी-राजस्थान मीडिया न्यूज रिपोर्टर व ई-मित्र संचालक, जय लाल मुंशी का रास्ता हैरिटेज, जयपुर.....रिपोर्टर-पेंशन का करवाना है, ई-मित्र संचालक-सत्यापन करवाना है या चालू करवानी है। रिपोर्टर-नहीं नहीं चालू ही करवानी है, ई-मित्र कर्मचारी-1500 रुपये लगेगें यहां से चालू हो जायेगी। रिपोर्टर-कब तक आ जायेगी। ई-मित्र कर्मचारी-फरवरी में आ जायेगी। रिपोर्टर- थोडा गुंजाईश करो ना। ई-मित्र संचालक-आगे जाते हैं पैसे। रिपोर्टर- कलेक्ट्रेट भी जाते हैं क्या ये। ई-मित्र संचालक- कलेक्ट्रेट व नगर निगम दोनो में। रिपोर्टर- अच्छा, तो दोनो जगह पैसे देने पडते है। ई-मित्र संचालक- बिना पैसे के काम कोई नही करता, ऐसी है बात। रिपोर्टर-(वहां उपस्थित अन्य कस्टमर से बात करते हुए) आपकी ही चालू करवाई थी क्या, आपके कितते लिये थे। कस्टमर-2000 रुपये में। वार्तालाप जी-राजस्थान मीडिया न्यूज रिपोर्टर व ई-मित्र संचालक, बगरू वालो का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर.....
.....ई-मित्र संचालक- दलाल वगैराह भी खाते है पैसे, और आगे भी खिलाने पडते हैं।